ई–प्र   ाासनः गांवों में बेहतर प्र   ाासन की दि   ाा में सार्थक कदम

*नीरज कुमार झा, शोधार्थी, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
**गिरिन्द्र मोहन झा, वाणिज्य विभाग, बहेड़ा कॉलेज, बहेड़ा, दरभंगा

सार संक्षेप

सूचना प्रौद्योगिकी ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। इसका असर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से होते हुए अब गांव–गांव तक पहुंच चुका है। खबर, सो   ाल नेटवर्किंग, चिकित्सा मनोरंजन, ई–मेल और शिक्षा के क्षेत्र में साथ ही अब इसके जरिए हम बिजली, पानी का बिल जमा कर रहे हैं और अपने कृषि संबंधी उत्पादों की जानकारी भी ले रहे हैं। इंटरनेट सरकारी दफ्तरों से निकलकर घर तक पहुंच चुका है। इसकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने ई–गवर्नेंस का प्रावधान किया। वर्ष 2005 में प्रधानमंत्री ने ई–पंचायत की घोषणा की। आई टी सी के 5400 ई–चौपाल कियोस्क खुले। हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को हाईटेक बनाने और सूचनाओं का आदान–प्रदान के लिए ई–गवर्नेंस की व्यवस्था का महत्व बढ़ गया है।

भूमिका

आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क को सूचना सुपर हाईवे कहा जाने लगा है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। पहली बार केंद्र सरकार की ओर से एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क (एर्नेट) में इंटरनेट शुरू किया गया। आम लोगों के लिए इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई। यह वही समय था जब विदेश संचार निगम ने गेटवे सर्विस शुरु की थी। अब स्थिति यह है कि लोगों के घरों में भी इंटरनेट पहुंच गया है। हर छोटे–बड़े शहर–कस्बे में साइबर कैफे खुल गए हैं। जो लोग निजी तौर पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिए है वे साइबर कैफे में इंटरनेट प्रयोग करते हैं।

समय के साथ हर बदलाव होता है। जैसे ही हमें इंटरनेट के बारे में जानकारी मिली, हमारी सरकार ने इसके महत्व को समझा और अब गांव–स्तर पर उसे विकसित कर रही है। दरअसल पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ गिनती और हिसाब–किताब करने के लिए किया जाता था। इसके बाद इसका इस्तेमाल सूचना के आदान–प्रदान में किया जाने लगा। धीरे–धीरे यह हो गया कि कंप्यूटर एवं संचार–यंत्र हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। समाज के पूर्ण विकास के लिए सूचना एवं संचार–यंत्र टेक्नोलॉजी में लगातार विस्तार हो रहा है। इंटरनेट का जन्म सूचना संचार यंत्रों एवं कंप्यूटरों में सूचना के

आदान–प्रदान से हुआ है। इंटरनेट से हर आम खास के लिए हर पल सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हरेक विषय से संबंधित सूचना आबंटित करने के नए रास्ते खोल दिया है। जिसका परिणाम है कि सरकारें इ–इनेबल हो गई है तथा ऑन–लाइन गवर्नमेंट में तब्दील हो गई हैं। इस टेक्नोलॉजी ने सूचना की जरूरतों को मुख्य रखते हुए हर समय सेवाएं उपलब्ध करवाने के नए रास्ते खोल दिए हैं।

ई–गवर्नेंसः ऑनलाईन गवर्नमेंट

केंद्र सरकार की ओर से सूचना का अधिकार लागू किए जाने के बाद ई–गवर्नेंस का महत्व और बढ़ गया है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पहले लोग विभिन्न तरह की सूचनाओं को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं थे। इसका यह कारण था कि उन्हें किसी भी गोपनीय दस्तावेज के बारे में जानने का अधिकार नहीं था। दूसरा कारण यह था कि एक काम के लिए उन्हें विभिन्न विभागों का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए है। सूचना के अधिकार के तहत किसी भी तरह की जानकारी हासिल की जा सकती है और इसमें ई–गवर्नेंस की सुविधा ने चार चांद लगा दिए हैं। यही वजह है कि सरकार की कोशिश है कि इसे ग्राम स्तर पर विस्तारित किया जाए। ई–गवर्नेंस की सहायता से नागरिकों की सही मायने में सेवा हो सकती है, उनकी सरकार से सुविधाएं लेने की इच्छाओं की पूर्ति हो सकेगी तथा उनके द्वारा चुने गए सरकार के सेवक सरकारी सेवाएं आम जनता तक पहुंचने में कामयाब हो सकेगें जिन वायदों के आधार पर ही वों अपने चुनावी क्षेत्र से लोकप्रिय नेता बनकर उभरे थे। जनसाधारण राजकीय आर्थिक सहायता योजना, स्वास्थ्य, सफाई, रोजगार, अनाज की कीमत, शिक्षा के बारे में जानकारी लेने के लिए उत्सुक है। सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार वैसे भी यह सूचना उपलब्ध करवानी सरकार की जिम्मेदारी भी है जोकि इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन गवर्नेंस (ई–गवर्नेंस) द्वारा सही–सही मिलनी संभव है ताकि हर नागरिक इस जानकारी के लिए सरकारी व अर्द्ध सरकारी दफ्तरों में ना भटके तथा इस तरह सरकार की करनी का मूल्यांकन भी कर सके।

राज्यों की सरकारें गवर्नमेंट ई–गवर्नेंस द्वारा दी गई सुविधाओं में समय–समय पर किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी देती रहती है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भारत निर्माण योजना के अंतर्गत अलग से वित्त का प्रबंध किया गया है। डिजिटल इंडिया सरीखे कार्यक्रम ने इसे और गति प्रदान की। भारत सरकार ने इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए प्रदाय दरों में भारी कमी की और परिणाम हुआ कि इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी। चूंकि राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अंतर्गत तमाम ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं इसलिए यह हर व्यक्ति की जरूरत बनती जा रही है अब इसे पंचायत स्तर पर विस्तार मिल रहा है तो निश्चित रूप से इसका फायदा हर एक ग्रामीण को मिल जाए पाएगा।

ई– ाासन व्यवस्थाः उपलब्ध सुविधाएं

इंटरनेट की सुविधा से पंचायतें अपने हर कदम की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचा सकती है। सड़कों, स्वास्थ्य, और ग्रामीण विकास के बारे में सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न तरह की सहायता के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है। किस समय किस मद में कितना पैसा जारी किया गया, इसके बारे में विस्तार से जाना जा सकता है। वहीं, किसान मंडी भाव जान सके हैं कि कब किस उपज का क्या रेट रहा। इस आधार पर वे अपनी उपज संबंधित मंडी में बेच सकते हैं।

ई–गवर्नेंस की सुविधा होने से बेरोजगार युवक–युवती सरकारी विभागों के साथ–साथ प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार खोज सकते हैं। अब तो विभिन्न कंपनियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। ऐसे में इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ बेरोजगारों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस सुविधा के जरिए विभिन्न विभागों में मेल भेज कर अपनी भांकाओं का समाधान भी किया जा सकता हैं।

ई–गवर्नेंस से उपलब्ध सुविधाओं में प्रमुखतया भाामिल हैः

- ई विवरणी मध्यवर्ती के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा।
- स्थाई खाता संख्या के लिए ऑनलाइन (पैन) की सुविधा।
- पैन आवेदन की स्थिति की ऑन–लाइन जांच।
- पासपोर्ट आवेदन की स्थिति ऑन–लाइन पूछताछ।
- ऑन–लाइन कंपनी निदेशिका।
- निवे ाक शिकायत ऑन–लाइन दर्ज करना।
- सेवा करदाताओं का पंजीकरण।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क दाताओं का पंजीकरण।
- अपना सेवाकर शुल्क जानना।
- अपना सेवा कर स्थान कोड जानना।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की ई–फाइलिंग।
- सेवा कर विवरणी की ई–फाइलिंग।
- ऑन–लाइन पेंशन भुगतान आदेश(पीपीओ) की जांच।
- अपने भू–पंजीकरण रिकॉर्ड की जांच करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना।
- वाहन पंजीकरण।
- चोरी के वाहनों की ऑन–लाइन स्थिति।

- जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
- भारतीय न्यायालयों की कारण सूची।
- प्रतिदिन के न्यायालयीन आदेश/मामलों की स्थिति।

भूमि रिकॉर्ड का बेहतर रखरखाव

भारत में ई– ाासन व्यवस्था करने से सबसे ज्यादा फायदा भूमि विभाग को मिला है। अब इसके जरिए किसान अपने रिकार्ड के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए स्वामित्व में कारगार, सही, परद र्िी सूचना प्रणाली और विवाद निपटाया जा सकता है। भू–स्वामियों को नाममात्र दर पर अधिकारों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है। ई–गवर्नेंस के जरिए भू–स्वामियों को सूचना का अधिकार देना संभव है। भूमि प्र ाासन से मूल्यवर्धन और आधुनिकीकरण के बारे में जानकारी ली जा सकती है।

सुविधाजनक संपति पंजीयन

सम्पति खरीदने पर संबंधित प्राधिकरण में पंजीकृत कराना होता है, जिसके जरिए कानूनी स्वामित्व का हक मिलता है। पहले इसमें काफी समय लगता था, लेकिन अब चंद मिनटों में ही यह सारी कार्रवाई हो जाती है। कंप्यूटरीकृत भूमि और सम्पति पंजीकरण सिस्टम के तहत पंजीकरण करना आसान है। इससे मूल्य निर्धारण में पारदर्िाता होती है और मघ्यवर्ती व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। बस किसी राज्य में संबंधित प्राधिकारी के पास आवेदन जमा करने की आव यकता होती है जो सब रजिस्ट्रार या क्षेत्र का एसडीएम हो सकता है। ब्यौरों का विधिवत सत्यापन करने बाद डीड किया जाता है और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाती है।

कृशि विपणन की बदलती तस्वीर

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 70 प्रति ात से अधिक जनसंख्या के साथ भारत का आर्थिक विकास महत्वपूर्ण रूप से कृषि क्षेत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण की चालू प्रक्रिया में कृषि विपणन क्षेत्र में एक उदाहरणस्वरूप परिवर्तन देखा गया है। नए वैि वक बाजार पहुंच अवसरों से किसान समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दे ा की आंतरिक कृषि विपणन प्रणाली का एकीकरण और सशक्तिकरण किया जा रहा है। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि किसान अपने उत्पादों को ग्रामीण और अविनियमित थोक बाजारों की तुलना में नियमित बाजारों (कृषि उत्पादन बाजार समितियां एपीएमसीए) में बेचकर पर्याप्त रूप से अधिक कीमत प्राप्त करते हैं। विपणन और निरीक्षक निदेशालय (डीएमआई) ने देश में बाजार मूल्यों से संबंधित सूचना के प्रभावी आदान–प्रदान हेतु पूरे देश में स्थित सभी महत्वपूर्ण एपीएमसी (कृषि उत्पाद बाजार समितियां), राज्य कृ

4

षि विपणन बोर्डे/निदेशालयों और डीएमआई क्षेत्रीय कार्यालयों कों जोड़कर एक आईटीसी परियोजना तैयार की है। इसे एनआईसीनेट आधारित कृशि विपणन सूचना प्रणाली नेटवर्क (एगमार्गनेट) कहा जाता है और इसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है।

निश्कर्श

ई–गवर्नेंस के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य रूप से करीब 30 सूत्रों को जोड़ा गया है। इसके अलावा 150 अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है कि वह 30 सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखें और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करें। प्रमुख 30 सूत्रीय कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रशासन, जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य पालन, सामाजिक कार्य, चुनाव, लघु उद्योग, हाउसिंग, सड़क निर्माण, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति कार्यक्रम, बाजार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, मजदूर कल्याण, लोक कल्याण आदि शामिल है।

पंचायतों को ई–सक्षम बनानें के लिए हमें समझना होगा कि

- ✓ पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) पंचायतों को प्रशासन तथा सेवा सुपुर्दगी में कुशल बनाने के लिए उनकी प्रभावत्पादकता में वृद्धि करेगा। राज्यों सें पंचायतों को ई–सक्षम करने के लिए उचित सीबीएवंटी को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने अपेक्षित है।
- ✓ हार्डवेयर को किसी भी अन्य सक्षम योजना में हासिल किया जा सकता है। जहां किसी अन्य योजना के अंतर्गत कई हार्डवेयर प्रदान करना संभव नहीं है, एक कंप्यूटर, यूपीएस, एक प्रिंटर प्रदान किया जा सकता है।
- ✓ सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के विकास, रखरखाव, सर्वर लागत, डाटा सेंटर होस्टिंग शुल्क, भंडारण, कनेक्टिविटी, सुरक्षा जांच तथा डिजिटल हस्ताक्षर के लिए भी राशि प्रदान की जाएगी।
- ✓ जिन राज्यों में पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर शिक्षित मानव श्रम नहीं है उन्हें सेवा प्रदाता प्रदान किए जा सकते हैं।
- ✓ जिन राज्यों नें अपने सॉफ्टवेयर में प्रगति नहीं की है तथा अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर नहीं किया है तो उन्हें पीईएस के माध्यम से केंद्र सरकार को अपना सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा। इसी प्रकार पंचायत परिसंपत्ति रजिस्टर में निर्मित और परिसंत्तियों के लिए मनरेगा जैसी केंद्रीय योजनाओं का भी समर्थन किया जाएगा।

अंत में यह कहा जा सकता है कि ई–पंचायत के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को सशक्त करने का प्रयास एक सार्थक कदम है। ई–पंचायत द्वारा पंचायतों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो

चुकी है तथा इसकी सहायता से गांवों में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, कृषि के संबंधित जानकारी, रोजगार के अवसर, मनरेगा कार्यक्रम आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे वह जागरूक हो रहे हैं।

सन्दर्भः

1. *कटरिया, सुरेन्द्र (2011), गांवों में बेहतर प्र ाासनः आव यकता एवं चुनौतियां, कुरूक्षेत्र, वर्श 57, अंक 10, अगस्त, पृष्ठ 9–14*
2. *प्रणवदेव (2015), ई–गवर्नेंसः ग्रामीण समाज के लिए वरदान, कुरूक्षेत्र, वर्श 61, अंक 3, जनवरी , पृष्ठ 22–23*
3. *मोदी, अनीता (2014), ई–प्र ाासनः गांवों के विकास का आधारस्तम्भ, कुरूक्षेत्र, वर्श 60, अंक 9 , जुलाई, पृष्ठ 27–29*
4. *यादव, रामजी (2019), भारत में ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लि ांग हाउस, नई दिल्ली*
5. *राष्ट्रीय ई– ाासन योजना (एनईजीपी) 2006, भारत सरकार, नई दिल्ली*
6. *सूर्य प्रका ा, ए (2015), सु ाासनः सिद्वांत व व्यवहार, योजना, वर्श 59, अंक 7, जुलाई, पृष्ठ 49–52*

7- *www.egovstandards.gov.in*

8. *www.mygov.in*
9. *www.pib.nic.in*